सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं: 4278 / 1014 / 2015 दिनांक: 16 / 06 / 2016

के मामले में :–

श्री राघवेन्द्र कुमार,
पुत्र श्री शंकरदयाल सिंह, D/137
ग्राम – पिपरा ढ़ीवर, पोस्ट – अनकूप्पा,
थाना – कुटुम्बा, जिला – औरंगाबाद,
बिहार – 824123 – वादी सं. 1

बनाम

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी,
दक्षिण पश्चिम रेलवे,
कार्मिक विभाग, D/138
हुबली–580023 (कर्नाटक) – प्रतिवादी

केस सं: 4286 / 1014 / 2015

श्री मुकेश कुमार,
स्पुत्र श्री दयानन्द सिंह, D/139
ग्राम व पो. ओ. – हरनाथपुर,
जिला – भागलपुर – 812006,
(बिहार) – वादी सं. 2

बनाम

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, D/140
दक्षिण पश्चिम रेलवे,
कार्मिक विभाग,
हुबली–580023 (कर्नाटक) – प्रतिवादी

केस सं: 4306 / 1014 / 2015

श्री छोटू लाल मीना,
सपुत्र श्री भूरा लाल मीना, D/141
ग्राम व पो.ओ. – कालाखोह,
तहसील व जिला– दौसा,
राजस्थान – 303304 – वादी सं. 3

बनाम

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, D/142
दक्षिण पश्चिम रेलवे,
कार्मिक विभाग,
हुबली–580023 (कर्नाटक) – प्रतिवादी

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

केस संख्या : 4408 / 1014 / 2015

श्री रंजीत कुमार,
ग्राम व पोस्ट– ममई, 0143
थाना व भाया – असरगंज,
जिला – मुंगेर,
बिहार – 813201 – वादी सं. 4

बनाम

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, 0144
दक्षिण पश्चिम रेलवे,
कार्मिक विभाग,
हुबली–580023 (कर्नाटक) – प्रतिवादी

केस सं. 4415 / 1014 / 2015

श्री पंकज कुमार
पुत्र श्री शशि भूषण कुमार, 0145
ग्राम – हाजीपुर, पोस्ट – मिल्की,
थाना – वारिसलीगंज, जिला – नवादा,
बिहार – 805130 – वादी सं. 5

बनाम

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, 0146
दक्षिण पश्चिम रेलवे,
कार्मिक विभाग,
हुबली–580023 (कर्नाटक) – प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 23.05.2016, 30.05.2016, 07.06.2016

उपस्थितः

23.05.2016

1. सर्वश्री पंकज कुमार, राघवेन्द्र कुमार, रणजीत कुमार और छोटूलाल मीना, शिकायतकर्तागण ।

2. सुश्री रेखा अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

30.05.2016

1. सवश्री राघवेन्द्र कुमार, रणजीत कुमार और छोटूलाल मीना, शिकायतकर्तागण ।

2. सुश्री रेखा अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

07.06.2016

1. सवश्री राघवेन्द्र कुमार, और छोटूलाल मीना, शिकायतकर्तागण ।

2. सुश्री रेखा अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

....3 / –

सत्यमेव जयते
न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन
COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES
विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्तागण, जोकि अस्थिबाधित व्यक्ति हैं, ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनको दक्षिण–पश्चिम रेलवे में गुड्स गार्ड के पद पर नियुक्ति नहीं देने से संबंधित शिकायत क्रमशः 11.05.2015, 11.05.2015, 06.05.2015, 26.05.2015 और 27.05.2015 इस न्यायालय में प्रस्तुत की ।

2. शिकायतकर्ताओं का कहना है कि रेलवे भर्ती बोर्ड, बंगलौर द्वारा उनकी रोजगार विज्ञप्ति संख्या 03/2012, कोड संख्या 4 के तहत गुड्स गार्ड की ओ.एच. कोटा में 5 रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं । उनका अंतिम रूप से चयन गुड्स गार्ड के पद पर किया गया । जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच बंगलौर डिवीजन के रेलवे अस्पताल में करवाई गई । मेडिकल जांच में उन्हें ओएच (ओए) के तहत अनफिट कर दिया गया । उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि इस विषय में उचित कार्रवाई करते हुए उन्हें न्याय दिलवाने का कष्ट करें ।

केस संख्या 4278/1014/2015

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 11.06.2015 के द्वारा उठाया गया । इसके पश्चात् दिनांक 20.08.2015 और 23.09.2015 को स्मरण–पत्र भी जारी किया गया ।

4. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 17.07.2015 द्वारा सूचित किया कि शिकायतकर्ता का मेडिकल मैनुअल के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और सीएमएस/आरएच/यूबीआई की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता के दाएं उपरी लिम्ब पर विकृति है और दाएं हाथ की पकड़ कमजोर है ओर दाएं उपरी लिम्ब का संचालन रूका है । एक्सरे परीक्षण का निष्कर्ष यह है कि दाएं उपरी अंग की लिम्ब हड्डी में ग्रोस हाइपो–प्लास्टिक है । गुड्स गार्ड का पद वर्गीकरण ए–2 के अधीन सुरक्षा वर्ग में वर्गीकृत किया गया है । रेल अधिनियम, 1989 की धारा 175 के अधीन जारी किए गए साधारण और पूरक नियमों के अनुसार गुड्स गार्ड के कार्य निर्दिष्ट हैं । गुड्स गार्ड के

....4/–

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

पद से संलग्न कठिन कार्य और शिकायतकर्ता की विकृतियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अपना कार्य कर पाना संभव नहीं होगा । इसलिए रेलवे ने सार्वजनिक हित और सार्वजनिक सुरक्षा में शिकायतकर्ता के मामले पर विचार नहीं किया है । अतः गुड्स गार्ड के पद पर शिकायतकर्ता के मामले को अस्वीकर करने में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था ।

5. प्रतिवादी से प्राप्त उत्तर की प्रति शिकायतकर्ता को इस न्यायालय के पत्र दिनांक 01.10.2015 को उनके टिप्पण / रिज्वाइंडर हेतु भेजी गई थी ।

6. शिकायतकर्ता ने अपने टिप्पण / रिज्वाइंडर दिनांक 20.10.2015 द्वारा निवेदन किया कि रेलवे भर्ती बोर्ड, बंगलौर द्वारा उनका चयन ओ.एच. श्रेणी के ओ.ए. के तहत करके उनको नियुक्ति पत्र दिया गया परन्तु मेडिकल बोर्ड ने प्रार्थी की मेडिकल जांच सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के समान की गई, जबकि प्रार्थी की मेडिकल जांच निर्धारित कोटे के अन्तर्गत की जानी चाहिए थी ।

7. शिकायतकर्ता से प्राप्त रिज्वाइंडर इस न्यायालय के पत्र दिनांक 15.12.2015 प्रतिवादी को उनके टिप्पण हेतु भेजा गया तथा इस न्यायालय के पत्र दिनांक 12.01.2016 द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व में सूचित किया जाएगा कि वह पद संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

8. प्रतिवादी ने अपने पत्र दिनांक 02.02.2016 द्वारा अपने पहले दिनांक 17.07.2015 को दिए गए उत्तर को दोहराया है जोकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.12.2005 में दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है । पैरा 23 में वर्णित है कि मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । निःशक्तता से ग्रस्त

.....5 / –

व्यक्ति की एक विशिष्ट प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

9. प्रतिवादी की ओर से प्राप्त उत्तर दिनांक 17.07.2015 और 02.02.2016 तथा शिकायतकर्ता के टिप्पण / रिज्वाइंडर दिनांक 20.10.2015 को मध्यनज़र रखते हुए मामला दिनांक 23.05.2016 को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया । चूंकि मामला संख्या 4286 / 1014 / 2015, 4306 / 1014 / 2015, 4408 / 1014 / 2015 और 4415 / 1014 / 2015 भी उपरोक्त मामले जैसे हैं, अतः इन मामलों को भी इस मामले की सुनवाई में शामिल किया गया ।

10. दिनांक 23.05.2016 को उपरोक्त शिकायतकर्ताओं ने निवेदन किया कि रेलवे भर्ती बोर्ड, बंगलौर द्वारा उनकी रोजगार विज्ञप्ति संख्या 03 / 2012, कोड संख्या 4 के तहत गुड्स गार्ड की ओ.एच. कोटा में 5 रिक्तियां विज्ञापित की गई थीं । उनका अंतिम रूप से चयन गुड्स गार्ड के पद पर किया गया । जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच बंगलौर डिवीजन के रेलवे अस्पताल में करवाई गई । मेडिकल जांच में उन्हें ओएच (ओए) के तहत अनफिट कर दिया गया जबकि पद ओएच (ओए) के लिए चिन्हित था और उन्हें इस आधार पर अनफिट नहीं किया जा सकता । शिकायतकर्ताओं का यह भी कहना था कि सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गई सूचना में भी प्रतिवादी ने स्वीकार किया है कि कुल 168 रिक्तियों में से 5 रिक्तियां ओएच(ओए) के लिए आरक्षित हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने निवेदन किया कि गुड्स गार्ड का पद सुरक्षा केटेगरी के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और रेलवे अधिनियम, 1989 के तहत उसके द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य जाने वाली और आने वाली गाड़ियों की देखभाल करना कि वे सही स्थान पर रूकती है और गाड़ी को तब तक नहीं छोड़ना जब तक उसका चार्ज नहीं दिया जाता है, गाड़ी पर चढ़ना एवं उतरना और

....6 /

दूसरी गाड़ियों के गार्डों एवं उसी गाड़ी तथा अन्य गाड़ियों के ड्राइवरों से सिगनल की अदला–बदली करना, एक हाथ से ब्रेक वैन के साथ संलग्न हैन्डल को संभालना और दूसरे हाथ से सिगनल बदली करना और गार्ड के रूप में शिकायतकर्ताओं द्वारा बाएं हाथ से हैन्डल को पकड़ना और साधारणतया दाएं हाथ से चलती गाड़ी में सिगनल को बदलनां संभव नहीं है । यदि मैडिकल रिपोर्ट को देखते हुए शिकायतकर्ताओं को इन कार्यों पर लगाया जाता है तो उससे आम जनता की सुरक्षा के साथ साथ उनके अपने जीवन को भी जोखिम में डालना है ।

12, प्रतिवादी के प्रतिनिधि को बताया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 16–70 / 2004–डी.डी.–।।। दिनांक 15.03.2007 के अधीन गुड्स गार्ड का पद एक बाजू (वन आर्म) केटेगरी के लिए चिन्हित है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035 / 3 / 2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 23 के अनुसार मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया शारीरिक उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की, एक विशिष्ट प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद, संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रख कर किया जाएगा । प्रतिवादी के अधिवक्ता ने पेसेन्जर ट्रेन गार्ड की तुलना में गुड्स गार्ड की शर्तो एवं निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षां के संबंध में प्रतिवादी से स्पष्टीकरण हेतु एक सप्ताह के समय के लिए अनुरोध किया ।

13. प्रतिवादी के अधिवक्ता के अनुरोध पर मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है । मामले की अगली सुनवाई दिनांक 30.05.2016 निर्धारित की जाती है । शिकायतकर्ताओं को मामले की सुनवाई में उपस्थित होने से छूट प्रदान की जाती है । फिर भी यदि वे सुनवाई में भाग लेना चाहे तो वे इसके लिए स्वतंत्र हैं ।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाष: 23386054, 23386154; टेलीफैक्स: 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

14. दिनांक 30.05.2016 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के काउन्सेल ने निवेदन किया कि सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने के कारण वे प्रतिवादी से इस मामले में अनुदेश प्राप्त नहीं कर सकीं और मामले की स्थिति न्यायालय के सम्मुख पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय प्रदान करने के लिए अनुरोध किया । प्रतिवादी के काउन्सेल के अनुरोध पर मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित की जाती है । अब मामले की सुनवाई दिनांक 07.06.2016 को सांय 04.00 बजे होगी ।

15. दिनांक 07.06.2016 को सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के अधिवक्ता ने उपरोक्त मामलों में प्रतिवादी की ओर से अतिरिक्त उत्तर फाइल किया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया । उन्होंने निवेदन किया कि जब एक बार मेडिकल बोर्ड उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षा में अनफिट कर देता है तो प्रतिवादी रेलवे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आदेश को नामंजूर नहीं कर सकता और उसे स्वीकार करना होगा । यदि उम्मीदवार उनके आदेश से व्यथित हैं तो वे मेडिकल बोर्ड के विनिश्चय के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करके उसे चुनौती दे सकते हैं । प्रतिवादी ने नियमों की अनुपालना की है और उनके अनुसार कार्रवाई की है । गुड्स गार्ड की वर्किंग कन्डीशन्स की परिभाषा आज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए प्रतिवादी के अतिरिक्त उत्तर में दी गई है जिसे उनके निवेदनों के भाग के रूप मे पढ़ा जाए । मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने अपने चिकित्सा परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह वर्णित किया है कि उम्मीदवार गुड्स गार्ड की वर्किंग कन्डीशन्स की अपेक्षा को पूरा नहीं करते हैं जोकि क्रम संख्या 214 के कालम 7 में वर्णित हैं ।

16. पक्षकारों को सुनने एवं मामलों की फाइलों का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय ने संप्रेक्षण किया कि प्रश्नगत गुड्स कलर्क का पद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 16–70/2004–डी.डी.–।।। दिनांक 15.03.2007 के अधीन एक बाजू (वन आर्म) केटेगरी के लिए चिन्हित है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 23 के अनुसार मूल नियमावली के नियम 10 के अनुसार, सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक नए व्यक्ति को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति

....7/–

के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया शारीरिक उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है । निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति की, एक विशिष्ट प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने हेतु उपयुक्त समझे गए पद पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के मामले में संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड को इस संबंध में यह पूर्व सूचित किया जाएगा कि यह पद, संगत श्रेणी की निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा धारित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है और तब उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण इस तथ्य को ध्यान में रख कर किया जाएगा ।

17. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29.12.2005 के पैरा 23 के प्रकाश में इन शिकायतकर्ताओं की रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों से पुनः चिकित्सा परीक्षा कराएं और यदि वे अन्यथा गुड्स गार्ड के पद के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उनकी नियुक्ति करें ।

18. मामले की अनुपालना रिपोर्ट इस आदेश की प्राप्ति के 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय को भेजें ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन